कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलुम्बर

प्रार्थी तहसीलदार सलुम्बर
विपक्षी श्री काना व अन्य
किस्म धारा–177 रा.का.अ.
प्रकरण संख्या 35 / 2019

	कार्यवाही विवरण	
10–01–2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि मौजा बांसा पटवार मण्डल उथरदा तहसील सलुम्बर के आराजी नम्बर 791 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख मे विपक्षी कंकु पुत्री देवा, काना पुत्र देवा, रोडी पुत्री देवा, लिम्बडी पत्नि देवा, शंकर पुत्र देवा जाति गडरिया (गायरी) निवासी बांसा के नाम सामलाती खातेदारी हक से दर्ज है। यह की उक्त आराजी नम्बर 791 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारान द्वारा अवैध बजरी के स्टोक कर उसे अन्यत्र ले जाया जा रहा है जिससे संपूर्ण कृषि भूमि बंजर हो गई है एवं मिटटी का उपजाउपन समाप्त हो गया है। तथा वर्तमान मे खातेदार नियमित रूप से उक्त भूमि में बजरी के स्टोक कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत विपक्षीगण के कृत्य को अवैधानिक करा खातेदारी अधिकार निरस्त करा बेदखली एवं भारी जुर्माने से दण्डित कराने का आदेश फरमावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर विपक्षी काना पिता देवा ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया की उक्त प्रकरण मे मुझ विपक्षी ने केवल मात्र पशुओ के लिये एक घास घर का कमरा बनाने हेतु थोडी रेती लाया था। उसके अलावा न तो मैने कभी कोई रेती का भण्डारण किया है न ही भविष्य मे करूंगा। विपक्षीगण उक्त आराजीयात पर नियमित कृषि कार्य करते आ रहे हैं एवं इनके द्वारा न ही कभी बजरी का खनन किया गया है न ही कोई बजरी का स्टॉक किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी का जवाब रिकॉर्ड पर लेकर वादी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त फरमाया जावे। उपरोक्त प्रकरण मे नायब तहसीलदार गींगला से मौका रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजीयात की भूमि पर काश्त हो रखी है तथा किसी प्रकार का बजरी भण्डारण अथवा अकृषि कार्य नही होना पाया गया है। हमने प्रार्थनापत्र मे उपलब्ध दस्तावेजात व नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया। वर्तमान मे मौजा बांसा के आराजी नम्बर 791 रकबा 0.22 हैक्टेयर पर विपक्षीगण काश्त कर रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा.का.अ. साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (सुरेन्द्र बी. पाटीदार RAS) सहायक कलक्टर सलुम्बर / उपखण्ड अधिकारी जिला सलुम्बर	